"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 114] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 29 मार्च 2016 — चैत्र 9, शक 1938

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 22 मार्च 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-12/2016/वाक/पांच (19). — छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-ख की उप-धारा (1) के खंड (दो) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

1. अधिसूचना क्रमांक एफ-10-78/2014/वाक/पांच (86), दिनांक 31-12-2014 में अंक, शब्द एवं चिन्ह "31 मार्च, 2016" के स्थान पर अंक, शब्द एवं चिन्ह "31 मई, 2016" प्रतिस्थापित किया जाए.

2. अधिसूचना क्रमांक एफ-10-36/2015/वाक/पांच (64), दिनांक 30-09-2015 में अंक एवं शब्द "30 जून 2016" के स्थान पर अंक एवं शब्द "31 अगस्त 2016" प्रतिस्थापित किया जाए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 22 मार्च 2016

क्रमांक एफ-10-12/2016/वाक/पांच (19). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-12/2016/वाक/पांच (19), दिनांक 22-03-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 22nd March 2016

NOTIFICATION

No. F-10-12/2016/CT/V (19) — In exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (1) of Section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government, hereby, makes the following amendment, namely :-

AMENDMENT

1. In notification No. F-10/78/2014/CT/V (86), dated 31-12-2014, for the figures, word and symbol "31st March, 2016", the figures, word and symbol "31st May, 2016" shall be substituted.

2. In notification No. F-10-36/2015/CT/V (64), dated 30-09-2015, for the figures and word "30th June 2016", the figures and word "31st August 2016" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.